इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025—भाद्र 21, शक 1947

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सागर, मध्यप्रदेश

क्र. —UDH-डूडा—0027—2025 सागर, दिनांक 22 जुलाई 2025

एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सागर जिले की बीना ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील क्षेत्र को नगर पालिका बीना—इटावा की सीमा वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची—1 में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतविष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखता है तो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर धारा 5(2) के अन्तर्गत समक्ष प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगाः—

अनुसूची—एक

नगर पालिका परिषद बीना—इटावा की सीमाओं में सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगाः—

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1	दुरूवा	दुरूवा, कुरूवा, हिरनछिपा	812.86
2	हींगटी	हींगटी	716.06
3	गुलौऊवा	गुलौऊवा, मुसयावदा	532.18
4	नौगांव	नौगांव, करई, नौपुरा	775.05
5	किर्रावदा	किर्रावदा, सबधा, पाली, रूपऊ	1113.84
6	हडकलखाती	भिलावली	164.52
7	पार	मुडिया नायक	396.6
8	किर्रोद	कलरावनी, मनऊ	419.61
9	बेरखेडीटाडा	कालूखेडी	186.15
10	बरदौरा	बरदौरा, इटावा बाहरी क्षेत्र	1124.86
11	पीपरखेडी	मालखेडी, फुटेरा	552.61
12	धानोरा	घई बुजुर्ग	331.31
कुलः—	**12**	**23**	**7125.65**

अनुसूची–दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात, बीना–इटावा नगर पालिका की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगीः–

उत्तर दिशा–कालूखेडी, मुडिया नायक, कलरावनी, बरदौरा, मनऊ, इटावा बाहरी क्षेत्र।

पूर्व दिशा–रूपऊ, गुलौऊवा, मुसयावदा, नौगांव, करई, नौपुरा।

दक्षिण दिशा–फुटेरा, घई बुजुर्ग, मालखेडी, दुरूवा, कुरूवा, हिरनछिपा, हींगटी।

पश्चिम दिशा–पाली, भिलावली, सबधा, किर्रावदा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी. आर., कलेक्टर.

No.-UDH-DUDA-0027-2025 Sagar. the 22nd July 2025

Hereby exercising the powers conferred for section 5(1)(a) of the Madhya Pradesh municipality Act. 1961 (No. 37 of 1961) the hereby signify their intention to the limit of Nagar Palika Parishad Bina-Etawa Distt. Sagar include the village is defined in Schedule an below. Any authority are inhabitant of the Scheduled-1 are may submit his objection or suggestion in writing on Collector Disst. Sagar with in 07 Days from the date of Primary publication for this Notification for the consider as per rule and authority take such objection or suggestion in to consideration:-

SCHEDULE-1

S.No	Name of Village	Including Village	Detail of Area (in Hectare)
1	2	3	4
1	Dhurua	Dhurua, Kurua, Hiranchipa	812.86
2	Hingti	Hingti	716.06
3	Gulaua	Gulaua, Musyawada	532.18
4	Nogaon	Nogaon, Karai, Nopura	775.05
5	Kirbida	Kirbida, Sabdha, Pali, Rupau	1113.84
6	Hadkal khati	Bhilawali	164.52
7	Par	Madianayak	396.6
8	Kirond	Kalraoni, Manau	419.61
9	Berkhedi Tanda	Kalukhedi	186.15
10	Bardora	Bardora, Etawa bhahari kshetra	1124.86
11	Piparkheri	Malkheri, Futera	552.61
12	Dhanora	Ghai Buzurg	331.31
Total :-	**12**	**23**	**7125.65**

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Municipal Bina-Etawa after including the area in schedule-1.

North direction– Kalukhedi, Madianayak, Kalraoni, Bardora, Manau, Etawa bhahari kshetra.
East direction– Rupau Gulaua, Musyawada, Nogaon, Karai, Nopura.
South direction- Futera, Ghai Buzurg, Malkheri, Dhurua, Kurua, Hiranchipa.
West direction– Pali, Bhilawali, Sabdha, Kirbida.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANDEEP G. R., Collector.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.